राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 544/2019 अनवान साहबराम बनाम सरकार

हुक्म या कार्यवाही गण इनिशियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

लगातार .....

प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 मे अंकित तथ्य माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनाक 14.06.2017 को आदेश पारित कर प्रकरण रिमाण्ड किया। जिसमे श्रीमान न्यायालय द्वारा पुन निर्णय किया जाना है। प्रार्थीगण के धारण मे सिलिंग सीमा से अधिक भूमि है।

प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ मे प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई दौराने बहस उभयपक्ष द्वारा अपने प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र को दोहराया गया।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया कि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 14.06.2017 के द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर इस निर्देश के साथ प्रकरण के रिमाण्ड किया गया है, कि पक्षकरो को समुचित सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में पुन: विधि सम्मत निर्णय प्रदान करे।

माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा इस न्यायालय के निर्णय को निरस्त करते हुए अन्तिम निर्णय पारित नही किया गया है, बल्कि इस न्यायालय के निर्णय को निरस्त करते हुए रिमाण्ड किये जाने से प्रकरण पक्षकरों को समुचित सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण मे पुन: विधि सम्मत निर्णय प्रदान करे।

प्रकरण न्यायायिक प्रक्रिया मे विचाराधीन होने, तथा अभी तक मुल पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल से प्राप्त नहीं होने के कारण प्रकरण मे अन्तिम निर्णय पारित नही होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाना न्यायोचित नही होने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनाक 27.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

हुक्म या कार्यवाही

प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता दिनाक 09.10.2019 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि श्रीमान न्यायालय द्वारा सिलिंग प्रकरण संख्या 704/75 अनवानी सरकार बनाम कुन्दन पुत्र शेरा मे सिलिंग कार्यवाही शुरू की गई उक्त सिलिंग प्रकरण मे श्रीमान न्यायालय के निर्णय दिनाक 29.03.2001 के द्वारा कुन्दन पुत्र शेरा के धारण मे सिलिंग सीमा से अधिक भूमि धारण मे होनी मानते हुए 10.17 बीघा भूमि सिलिंग सीमा से अधिक मानकर अधियहण करने के आदेश पारित किये जिसके विरूद्ध रामप्यारी बेवा कुन्दन ने न्यायालय अति जिला कलक्टर हनुमानगढ के समक्ष अपील अनवानी रामप्यारी बनाम साहबराम अपील संख्या 11/2001 प्रस्तुत की जो निर्णय दिनाक 17.06.2002 के द्वारा खारिज की गई। उक्त निर्णय दिनाक 17.06.2002 व 29.03.2001 के विरूद्ध अपीलाट ने न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष अपील/सिलिंग/5855/2002/हनुमानगढ साहबराम बनाम सरकार प्रस्तुत की जो निर्णय दिनाक 14.06.2017 के द्वारा स्वीकार की गई एवं प्राधिकृत अधिकारी सिलिंग हनुमानगढ के निर्णय दिनाक 29.03.2001 एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय दिनाक 17.06.2002 अपास्त कर दिये। परन्तु श्रीमान न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनाक 29.03.2001 की पालना मे तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ द्वारा चक 16 एम.डी. के नामानतरण संख्या 198 के द्वारा सुस्मात रामप्यारी के नाम दर्ज 13.159 हैक्टर भूमि मे से 2.745 हैक्टर भूमि आराजी राज दर्ज कर दी । श्रीमान न्यायालय का आदेश माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 14.06.2017 के द्वारा निरस्त हो चुका है उक्त आदेश के विरूद्ध राज्य पक्ष द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय मे कोई रिट याचिका प्रस्तुत नही की गई है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर का निर्णय अंतिम हो चुका है इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकार्ड मे नामान्तरण संख्या 198 दिनाक 07.11.2002 के पूर्व की स्थिति बहाल करवाने का अधिकारी है।

प्रस्तगत भूमि सिलिंग प्रकरण मे अवाप्त की गई थी जिस निर्णय से भूमि अवाप्त की गई थी वह निर्णय माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनाक 14.06.2017 के द्वारा निरस्त किया जा चुका है। इसलिए प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड मे अपना नाम दर्ज करवाकर आदेश से पूर्व की स्थिति बहाल करवाने के अधिकारी है।

अत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर सिलिंग प्रकरण संख्या 704/75 स्टेट बनाम कुन्दन पारित निर्णय दिनाक 29.03.2001 की पालना मे चक 16 एम.डी. के नामान्तरण संख्या 198 दिनाक 07.11.2002 से पूर्व की स्थिति बहाल कर चक 16 एम.डी. पत्थर नम्बर 140/332 मुरबा नम्बर 25 किला नम्बर 1 ता 3, 5 ता 7, 9, 10, 11/1, 19, 20 कुल 2.745 हैक्टर को राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीगण के नाम दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे।

प्रकरण मे तहसीलदार हनुमानगढ से रिपोर्ट प्राप्त की गई मुताबिक रिपोर्ट सिलिंग प्रकरण संख्या 704/75 अनवानी सरकार बनाम कुन्दन पुत्र शेरा मे सिलिंग कार्यवाही कर उक्त प्रकरण श्रीमान न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 28.03.2001 को कुन्दन पुत्र शेरा के धारण मे सिलिंग सीमा से अधिक 10.17 बाघा भूमि अधिक मानते हुए उक्त भूमि रकबा राज कर दिया जिसके विरुद्ध रामप्यारी बेवा कन्दन ने न्यायालय अति जिला कलक्टर के समक्ष अपील अनवानी रामप्यारी बनाम साहबराम अपील संख्या 11/2001 प्रस्तुत की जो दिनाक 17.06.2002 को खारिज कर दिया। उक्त दोनों निर्णय के विरुद्ध प्रार्थीगण ने न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष अपील/सिलिंग/5855/2002 साहबराम बनाम सरकार प्रस्तुत की जो निर्णय दिनांक 14.06.2017 को स्वीकार की गई व प्रकरण उपखण्ड अधिकारी एवं प्राधिकृत अधिकारी सिलिंग हनुमानगढ को पुन पक्षकारो की समुचित सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान कर प्रकरण म पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करने का आदेश दिया। जो पत्रावली न्यायालय प्राधिकृत सिलिंग हनुमानगढ द्वारा निर्णय किया जाना है। जरिये नामान्तरण संख्या 198 दिनाक 07.11.2002 श्रीमान् न्यायालय के आदेश की पालना मे चक 16 एम.डी. के पत्थर नम्बर 140/332 मुरबा नम्बर 25 किला नम्बर 1 ता 3, 5 ता 7, 9, 10, 11/1, 19, 20 कुल 2.745 हैक्टर भूमि राजस्व रिकार्ड मे आराजी राज दर्ज है। प्रार्थीगण के धारण मे उक्त भूमि सिलिंग सीमा से अधिक भूमि है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner
Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2020.03.03 15:32:49 IST
Reason: SelfAttested